कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सेक्टर–7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष–(0551) 2580010, 2580090 फैक्स. (0551) 2580020

निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/uplc में सिविल निर्माण कार्य हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत कॉलम न0 7 के अनुसार अर्ह एवं अनुमोदित ठेकेदारों से आन लाईन ई–निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू–विड्स सिस्टम द्वारा निविदा दिनॉक 11.05.2020 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनॉक 02.06.2020 को अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। दिनॉक 03.06.2020 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई–पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (जी.एस.टी. व लेबर सेस अतिरिक्त (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा परिक्षेत्र सेक्टर–13 में कनेक्टिंग ड्रेन का निर्माण कार्य, गीडा गोरखपुर।	148.00	14.80	(निविदा मूल्य + जी.एस.टी) रू0 2950.00	03 माह	'ए'	आन– लाईन

नोट– उक्त के अतिरिक्त दिनॉक 02.06.2020 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) गोरखपुर के वेब साईट www.gidagkp.org/www.E-tender.gov.in पर अपलोड कर दी जायेगी।

नियम एवं शर्तेः–

A) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी। निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य डी0डी0 के रूप में जो गीडा, गोरखपुर के पक्ष में देय होगा तथा परफार्मेंश सिक्योरिटी/धरोहर धनराशि जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 मूल रूप में जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा के पक्ष में बन्धक हो एवं गोरखपुर में देय हो व जिसकी वैद्यता निविदा तिथि से 36 माह से कम न हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

B) प्रत्येक निविदादाताओं को रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर नोटरी एफीडेविट कराते हुए सभी सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों पर देना अनिवार्य है।

C) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23–7–17–176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 को बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफियां गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रकिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा साथ ही उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रकिया में भाग लेना भी प्रतिबन्धित होगा साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टे्ड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेगें और उन्हे कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।

D) निविदा के समान प्रकृति का पिछले तीन वर्षों में निविदा मूल्य की धनराशि के 40 प्रतिशत मूल्य के तीन कार्य अथवा निविदा मूल्य के दो कार्य 50 प्रतिशत धनराशि के अथवा निविदा मूल्य का एक कार्य जिसका मूल्य 75 प्रतिशत धनराशि से कम न हो जिसका सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण करने का अनुभव प्रमाण पत्र के प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

E) निविदादाता द्वारा विगत 5 वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम आगणन के 50 प्रतिशत धनराशि का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में

पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

F) निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत परफार्मेंश सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा। जमा की गयी परफार्मेंश सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

G) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।

H) निविदा स्वीकृति के पश्चात आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा नियत समय के अन्दर पूर्ण करना आवश्यक है।

I) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर कमीं को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

J) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि का अधिकार (नियमानुसार अर्थदण्ड देते हुये) अनुबन्धित की दशा में 1 प्रतिशत दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।

K) अन्य नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

L) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

M) ठेकेदार द्वारा कराये गये मानकों के अनुसार कार्यों का समय–समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति के संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

N) निविदा द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

O) निविदा प्रपत्र एवं धरोहर धनराशि मूल रूप से निविदा खोलने के समय से पहले मुख्य कार्यपालक अधिकारी/वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) के कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर–7, गीडा, गोरखपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

P) ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) नियमानुसार देय होगा।

Q) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

R) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

S) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोटि करना सुनिश्चित करेंगे।

(संजीव रंजन)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा–गोरखपुर

पत्रांक 4015 **/अभि0नि0–6/सिविल/निविदा(सि0)/गीडा/2019–20** **दिनांक** 28/4/2020

प्रतिलिपि :–

1–जन सम्पर्क अधिकारी /प्रबन्धक (सम्पत्ति) गीडा को एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र एवं एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।

2–सहायक प्रबन्धक (कम्प्यूटर) गीडा को इस आशय से प्रेषित कि बेबसाईट कि www.gidagkp. पर अपलोड/डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।

3–गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

4–वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5–निविदा समिति के सदस्यों सहायक प्रबन्धक (सिविल) स0 अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक (वित्त)/एवं प्रबन्धक (नियोजन) को सूचनार्थ प्रेषित।

(संजीव रंजन)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा–गोरखपुर।